

मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद्
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

59, नर्मदा भवन, सी-ब्लॉक, द्वितीय तल,
अरेरा हिल्स, जेल रोड, भोपाल (म.प्र.)

क्र. 3442 /NREGS-MP/Tech./2008

दिनांक 8/5/2008

प्रति,

1. कलेक्टर/जिला कार्यक्रम समन्वयक,
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक,
जिला/जिला पंचायत - (समस्त)

विषय: राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम-म.प्र. के अन्तर्गत उपयोजना मीनाक्षी के क्रियान्वयन बावत्।

संदर्भ: विभाग का पत्र क्र. 1617/NREGS-MP/Tech./2008 दिनांक 18/03/2008

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम-म.प्र. के अन्तर्गत मत्स्य पालन/मत्स्य बीज उत्पादन हेतु संचालित उपयोजना "मीनाक्षी" के लिए संदर्भित पत्र द्वारा निर्देश जारी किये गए हैं। अनुसूची 1 के पैरा II(IV) में वर्णित लक्षित वर्ग के हितग्राहियों के सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने एवं ग्रामीणों की आजीविका सुदृढीकरण के लिए योजना "मीनाक्षी" एक महत्वपूर्ण उपयोजना है।

कृपया "मीनाक्षी" के अन्तर्गत प्रत्येक जनपद में औसतन 50 हितग्राही इकाइयों को लाभान्वित किये जाने हेतु प्रस्ताव तैयार करने के पश्चात, संबंधित ग्राम पंचायतों के शैटफ ऑफ प्रोजेक्ट में शामिल कर, प्राथमिकता के आधार पर क्रियान्वयन किया जाना सुनिश्चित करें।

(अशोक ग्राह)

सचिव/परियोजना समन्वयक
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद् भोपाल (म.प्र.)

पू.क्र. 3443 /NREGS-MP/Tech./2008

दिनांक 8/5/2008

प्रतिलिपि:

1. परियोजना समन्वयक, डी.पी.आई.पी. की ओर सूचनार्थ।
2. परियोजना समन्वयक, एम.पी.आर.एल.पी. की ओर सूचनार्थ।
3. संचालक, मत्स्योद्योग, विन्ध्याचल भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
4. संभागीय आयुक्त, संभाग (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
5. अधीक्षण यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग (समस्त) की ओर सूचनार्थ।

6. कार्यपालन यंत्रों, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग (समस्त) की ओर सूचनार्थ ।
7. जिला स्तरीय अधिकारी, जिला (समस्त) की ओर सूचनार्थ ।
8. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत (समस्त) की ओर सूचनार्थ ।

(अशोक शाह)

सचिव / परियोजना समन्वयक
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद् भोपाल (म.प्र.)